न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 59/2016/टीए

1. लादू पिता गोकल नाई
2. रतन पिता गोकल नाई
3. शम्भु पिता गोकल नाई
4. सत्यनारायण पिता गोकल नाई
5. कैलाशी पुत्री गोकल नाई
6. कमला बेवा गोकल नाई
7. घीसू पिता हीरा नाई
8. गोवर्धन पिता हीरा नाई
9. नानालाल पिता हीरा नाई
10. बाली बाई पिता हीरा नाई
11. सीता बाई पिता हीरा नाई

सभी निवासी एराल तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कालका माता जी स्थान किला रोड चित्तौड़गढ़ जरिये पुजारी महन्त रामनारायण पुरी कालका माता मन्दिर दुर्ग चित्तौड़गढ़ व तहसील जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय आदेश उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 08.02.2016 प्रकरण सं. 220/2015

उपस्थित – 1. श्री फजले मोईन खान– अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री बसंतीलाल पोखरना – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 31.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी ने प्रत्यर्क्षीगण संख्या 1 से लगायत 11 तक के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत एवं आधारहीन तथ्यो पर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट संख्या 1 से लगायत 11 की ग्राम एराल पटवार हल्का एराल के खाता संख्या 286 मे दर्ज आराजी नम्बर 143 से 147 कुल किता रकबा गांव

नंगावली मे खतोनी संख्या 555 मे दर्ज आराजी संख्या 55 रकबा 0.4400 है0 आराजी .संख्या 712 रकबा 0.3400 है आराजी संख्या 2338/1122 रकबा 0.1600 है0 आराजी है0 स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात के उत्तर दिशा मे विपक्षीगण की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 63,67,68,70 स्थित है। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिये ग्राम एराल से पश्चिम की ओर चित्तौडगढ से एराल रोड से दक्षिण दिशा मे आराजी नम्बर 63,67,68,70 के उत्तरी मेड पर होकर अपनी पूर्वजो के समय से आते जाते रहे है तथा मौके पर 12 फीट चौडी गडार बनी हुई है जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण कृषि कार्य हेतु साधन आदि ले जाते है। वर्तमान मे विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त आराजीयात मे आने जाने मे व्यवधान पैदा कर रहे है। प्रार्थी के पास स्वंय की आराजीयात मे आने–जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थी मौके पर मार्ग के रूप मे काम आ रही है उक्त भूमि का प्रचलित डीएलसी दर से क्षतिपूर्ति राशि कर अपने काम मे आ रही उक्त भूमि की प्रचलित डीएलसी दर क्षतिपूर्ति राशि अदा कर उक्त खातेदारी की आराजीयात मे आने–जाने के लिये स्थाई रास्ता कायम कराना चाहते है। प्रार्थी को उसकी आराजीयात मे आने जाने के लिये रास्ता दिलाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे अंकन कराया जाना आवश्यक हाने से प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को तलब किया। विपक्षीगण ने अपने जवाब मे मौके पर कोई रास्ता नही होने का कथन किया तथा न ही गाडी गडार होने का कथन किया तथा प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना बताया जिसका उपयोग प्रार्थी व विपक्षीगण बरसो से करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनने के बाद विवादित व आलौच्यपूर्ण निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर विधि के विरूद्ध है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08/02/2016 को करना बताया , जबकि निर्णय की सूचना न पटवारी के द्वारा दी गई न ही मौके पर आकर प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारित करने हेतु निर्णय पारित करने के लिये कोई सूचना पटवार हल्का द्वारा अपीलार्थीगण को दी गई। पत्रावली को निर्णित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई लिये दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थीगण की विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण द्वारा बताये गये कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के प्रार्थनागण मे दर्शाये गये अनुसार नही है बल्कि एक अन्य कदमी रास्ता श्यामलाल के खेत पर दक्षिण दिशा मे अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की आराजीयात पर

आने जाने के लिये बना है। इस कदमी रास्ते के एक तरफ मांगीलाल व श्यामलाल की खातेदारी की आराजीयात अवस्थित है तथा इसी कदमी दिशा के उत्तरी दिशा मे अन्य खातेदारी आराजीयात अवस्थित है जो उक्त आराजीयात आगे चल कर रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण की आराजीयात मे पहूॅचने के लिये है। प्रत्यर्क्षी का इस आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई हित व कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह कथन किया कि प्रकरण मे तहसीलदार चित्तौडगढ़ को कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाकर निर्णय पारित किया है जबकि उक्त प्रकरण मे ना तो तहसीलदार चित्तौडगढ को कमिश्नर नियुक्त किया है न ही मौके पर गये। पटवार हल्का को मौके पर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट बनाई। राजस्व कर्मियो की मिलीभगत से तथा प्रत्यर्क्षी को अनुचित लाभ देने से मौका रिपोर्ट बनाई गई। दिनांक 08.02.2016 के निर्णय की जानकारी अपीलान्टस को नही थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज हो जाने के बाद अपीलान्टस द्वारा अपने खाते की नकल लेने के लिये पटवार हल्का चित्तौड़गढ़ से दिनांक 21/06/2016 से नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उक्त प्रकरण व अपीलान्ट की आराजीया तमे बिलानाम रास्ता दर्ज हो चुका है। दिनांक 21/06/2016 को अन्दर अवधि यह अपील पेश कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट बालीबाई, सीताबाई, व अन्य प्रतिवादीगण के सहित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राटिए के तहत पेश किया जबकि राजस्व रिकार्ड मे उनका नाम दर्ज नही है। दिनांक 13.10.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 एवं सपठित धारा 251 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 220/15 मे पारित निर्णय दिनांक 08/02/2016 निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली गुणावगुण के आधार पर सुनवाई हेतु पुनः रिमाण्ड कर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस आदेश 41 नियम 27 सीपीसी मे प्रस्तुत दस्तावेजात प्रतिपक्ष को आपत्ति नही होने के कारण रिकार्ड पर लिया गया। वकील अपीलान्ट ने बहस मे बयान किया कि इसी प्रकरण को लेकर एक अन्य वाद संख्या 235/2014 इसी न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 251ए, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 18/05/2016 को निर्णित हुआ है जिसमे कोई अपील नही है। तत्पश्चात् एक नया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर दिया गया। हमारा रकबा खसरा

नम्बर 63, 67, 68 एवं 70 मे रास्ता नही दिया जावे क्योकि पूर्व आदेश से खसरा नम्बर 57, 58, 59, 60 तथा 1037/62 मे से रास्ता स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार विवेचन प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अपास्त किया जावे।

4. बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दिनांक 08/09/2016 को पारित निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत है जिसमे दिनांक 13/05/2016 को धारा 152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधार पर संशोधित आदेश के अनुसार 4 आराजी खसरा नम्बर 63, 67, 68 एवं 70 मे रास्ता अंकित किया गया है जिसका इन्तकाल तस्दीक हो चुका है तथा वांछित राशि 2,22,904/– रू. जमा हो चुकी है। मन्दिर मूर्ति **perpetual minor** की श्रेणी मे आती है, जिसके अधिकारो की रक्षा करना पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारीज की जावे।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे किसी प्रकार की त्रुटि नही की गई है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे रास्ते का अमलदरामद हो चुका है तथा वांछित धन राशि भी जमा कराई जा चुकी है। ऐसी सूरत मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलतः उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 220/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 08/02/2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़